



2026:AHC:15185

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2470, वर्ष 2025

बिजेंद्र कुमार पटेल
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार पटेल
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : आनंद कुमार उपाध्याय, भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
सौ.एस.सी., हुस्नआरा खान, मुकेश कुमार पटेल

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार त्रिपाठी; विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार उपाध्याय के लिए, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा; राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी की दलीलें सुनी गईं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

A. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे आराजी संख्या 819(M), क्षेत्रफल 0.049 हेक्टेयर, ग्राम जयपालपुर, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर पर निजी प्रतिवादियों राजपति और राजेंद्र कुमार द्वारा बनाए गए मकान के अवैध अतिक्रमण को हटाएँ; और इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्यों के लिए बहाल करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस पर कोई और अतिक्रमण न हो।

B. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा 24/07/2025 को प्रस्तुत उस आवेदन पर निर्णय लें, जो

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में है; और यह निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समयावधि के भीतर लिया जाए।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 28.8.2025 को इस मामले पर सुनवाई की और प्रतिवादियों को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

4. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, एक जवाबी हलफनामा और साथ ही एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यू. पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही दर्ज की गई है, जो विचाराधीन भूखंड पर अवैध कब्जे में पाए गए थे; इन मामलों के क्रमांक T202014360305752, T202014360305751 और T202014360316507 हैं, और ये मामले वर्तमान में तहसीलदार के समक्ष लंबित हैं।

5. याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि यू. पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे के लिए, एक समय-सीमा के भीतर, उचित निर्देश जारी किए जाएं।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस जनहित याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील मछलीशहर, जौनपुर, यू. पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त कार्यवाही का निर्णय, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार और शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

21 जनवरी 2026

सी. प्रकाश